दिनांक 04.09.2019

स्वच्छ भारत अभियान
स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

खुले में टायर रखने वालों के विरुद्ध उड़नदस्ता की टीम ने की कार्रवाई

भिलाईनगर/ नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने आज जोन 01 नेहरु नगर के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से जो कि हार्डवेयर शाप के बाहर रखे टायर में पानी जमा हो जाने से लार्वा उत्पन्न हो गया था जिससे 4 हजार रुपये का अर्थदण्ड वसूल किया गया साथ ही अनुज्ञप्ति लायसेंस नहीं होने से तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग , एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ पर कार्यवाही करते हुए कुल 9 हजार अर्थदण्ड वसूलते हुए एक्सपायरी सामग्री के विनिष्टीकरण की कार्यवाही की साथ ही दोबारा इस प्रकार से न करने की समझाईस दी गई।

नगर पालिक निगम, भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने जोन 01 नेहरु नगर के अंतर्गत आने वाले होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों पर कार्यवाही की। जिसमें बचे हुए बासी खाद्य पदार्थ, नालियों पर कचरा, सफाई व्यवस्था, लायसेंस आदि का जायजा लिया लिया गया तथा 08 व्यवसायियों से 9 हजार रुपये का दाण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही समझाईस दी गई की बिना लायसेंस संचालन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नगर पालिक अधिनियम के तहत् सख्त कार्यवाही की जा सकती है।

निगम की उड़नदस्ता टीम द्वारा एम. फजले हुसैन , हार्डवेयर शाप, टायर पंचर दुकान , आनंद भोजनालय, ड्राईव इन फ्यूल्स , नूर पोल्ट्री फार्म , जनता आटो सेन्टर पर निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की।

जनसम्पर्क अधिकारी